

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा
संख्या-02

चतुर्दश (विशेष) सत्र
मंगलवार, दिनांक:-06 फरवरी, 2024 ई०।

समय:-11:00 बजे पूर्वा० से 01:42 अप० तक।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य प्रो० स्टीफन मराण्डी से प्राप्त सूचना एवं माननीय सदस्या श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह द्वारा समर्थन किये जाने विषयक जानकारी आसन द्वारा सदन को दी गयी। तत्पश्चात् वाद-विवाद हेतु सभी दलों के बीच समय आवंटन की घोषणा भी की गयी।

आज दिनांक 06.02.2024 को सदन में होने वाले वाद-विवाद के निमित्त प्राप्त सभी संशोधनों को आसन द्वारा पढ़ा हुआ माना गया। तत्पश्चात् आसन की अनुमति से माननीय सदस्य प्रो० स्टीफन मराण्डी द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका समर्थन माननीय सदस्या श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह ने किया। तदुपशान्त आसन की अनुमति से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इस वाद-विवाद में भाग लिया-

1. श्री सुदिव्य कुमार
2. श्री विरंची नारायण
3. डॉ० इरफान अंसारी
4. डॉ० लम्बोदर महतो
5. श्री प्रदीप यादव
6. श्री विनोद कुमार सिंह
7. श्री सरयू राय
8. श्री दीपक बिरूवा ~~रथ~~
9. श्री भानु प्रताप शाही

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा उत्तर दिया गया। इसके बाद माननीय सदस्य श्री बिरंची नारायण एवं माननीय सदस्य डॉ० लम्बोदर महतो के द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव को उनके अनुपस्थिति के बीच ध्वनिमत से अमान्य कर दिया गया तथा माननीय सदस्य प्रो० स्टीफन मराण्डी द्वारा प्रस्तुत एवं माननीय सदस्या श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह द्वारा समर्थित प्रस्ताव सभा द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

2. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा **Commission of Inquiry Act, 1952** की धारा-3(उपधारा-4) के प्रावधानों के आलोक में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या-1130, दिनांक-21.09.2022 द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का प्रतिवेदन एवं इस पर सभा सचिवालय का कृत कार्रवाई प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखा गया।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

राँची,
दिनांक-06 फरवरी, 2024

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।